

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या
12/85/2024

रजिस्टर्ड नंबर
2024/165

प्रवेश तिथि
04.12.2024

निर्णय दिनांक
31.12.2025

01. प्रवर्तन अधिकारी, मुख्यालय अलवर जिला अलवर (राजस्थान) ।

—प्रार्थी

बनाम

01. श्री दामोदर पुत्र श्री प्रभातीराम, निवासी ग्राम चिमरावली, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर राज0 ।


—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 29 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 7 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर कुल 36 गैस सिलेण्डर्स मय 2 रेग्यूलेटर पाईप सहित, 1 रिफिलिंग मोटर एवं 1 कांटा को राजसात करने बाबत ।

उपस्थिति :-

01. प्रवर्तन अधिकारी

—विभागीय प्रतिनिधि ।



प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 29 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 7 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर कुल 36 गैस सिलेण्डर्स मय 2 रेग्यूलेटर पाईप सहित, 1 रिफिलिंग मोटर एवं 1 कांटा को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 "ए" प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया ।

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 28.11.2024 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार मैं श्री विनोद जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी, बहमराह श्री रणधीर सिंह, प्रवर्तन अधिकारी, श्री कृष्ण कुमार बाँयला, प्रवर्तन निरीक्षक घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरुपयोग की जांच हेतु श्री दामोदर पुत्र श्री प्रभातीराम, निवासी ग्राम चिमरावली, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर के जसवंत नगर अलवर पर स्थित परिसर पर पहुंचे।

मौके पर श्री दामोदर पुत्र श्री प्रभातीराम, निवासी ग्राम चिमरावली, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर उपस्थित मिले। श्री दामोदर पुत्र श्री प्रभातीराम की दुकान पर 29 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 7 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर कुल 36 गैस सिलेण्डर्स मय 2 रेग्यूलेटर पाईप सहित, 1 रिफिलिंग मोटर एवं 1 कांटा अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिसका व्यावसायिक दुरुपयोग किया जाना पाया गया। फर्द अभिग्रहण एवं फर्द सुपुर्दगीनामा पृथक से तैयार किया गया। श्री दामोदर पुत्र श्री प्रभातीराम वक्त जांच घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेण्डर के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये।

इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री दामोदर पुत्र श्री प्रभातीराम के द्वारा घरेलू सिलेण्डर व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 29 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 7 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर कुल 36 गैस सिलेण्डर्स मय 2 रेग्यूलेटर पाईप सहित, 1 रिफिलिंग मोटर एवं 1 कांटा को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया।

आ. अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

मौके पर उक्त कब्जेराज 29 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 7 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर कुल 36 गैस सिलेण्डर्स मय 2 रेग्युलेटर पाईप सहित, 1 रिफिलिंग मोटर एवं 1 कांटा को मै० अलवर इंडेन गैस एजेंसी, अलवर के प्रतिनिधि श्री पवन जाटव पुत्र श्री यादराम जाटव, निवासी कलगांव, तहसील तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान को सुपुर्द किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 29 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 7 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर कुल 36 गैस सिलेण्डर्स मय 2 रेग्युलेटर पाईप सहित, 1 रिफिलिंग मोटर एवं 1 कांटा को राजसात करने की कृपा करें।

अप्रार्थी को जरिये रजि० नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता बावजूद रजि० तलबी/तामील के अनुपस्थिति।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर के अनुसार वक्त जांच मौके पर अप्रार्थी श्री दामोदर पुत्र श्री प्रभातीराम, निवासी ग्राम चिमरावली, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर के जसवंत नगर, अलवर पर स्थित परिसर पर 29 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 7 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर कुल 36 गैस सिलेण्डर्स मय 2 रेग्युलेटर पाईप सहित, 1 रिफिलिंग मोटर एवं 1 कांटा अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्य के लिए किया जा रहा था। अप्रार्थी श्री दामोदर पुत्र श्री प्रभातीराम द्वारा वक्त जांच घरेलू सिलेण्डरों व अन्य उपकरणों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि अप्रार्थी श्री दामोदर पुत्र श्री प्रभातीराम के द्वारा उक्त घरेलू सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6-ए स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6-ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा 29 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 7 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर कुल 36 गैस सिलेण्डर्स मय 2 रेग्युलेटर पाईप सहित, 1 रिफिलिंग मोटर एवं 1 कांटा को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा उक्त 29 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 7 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर कुल 36 गैस सिलेण्डर्स मय 2 रेग्युलेटर पाईप सहित, 1 रिफिलिंग मोटर एवं 1 कांटा को सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज०)